राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामदयाल / गोपाल 237/2020 1	
15/3/21	आज यह पत्रवाली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई	संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ने एक दावा बाबत घोषणा खातेदारी व दुरुस्ती इन्द्राज इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम प्रतापपुरा प.ह. जोरपुरा जोबनेर तह. फुलेरा जिला जयपुर में वादी कि कब्जे काश्त कि आराजी खाता संख्या 27 कि आराजी खसरा नम्बर 944/1,944/2 किता दो कुल रकबा 64 बीघा 15 बिस्वा जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज है इसी प्रकार खाता संख्या 12 कि खसरा नम्बर 299 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा में वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज है खाता संख्या 159 कि आराजी खसरा नम्बर 255 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा में वादी का 1/12 हिस्सा, खाता संख्या 166 कि आराजी खसरा नम्बर 244 रकबा 11 बीघा व खसरा नम्बर 265 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा किता दो कुल रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा में वादी का 1/12 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज चला आ रहा है	वादी का सही नाम रामदयाल पुत्र गंगाराम है लेकिन वादी कि आराजी खाता संख्या 27 कि आराजी खसरा नम्बर 944/1 व 944/2 किता दो कुल रकबा 64 बीघा 15 बिस्वा में वादी का सहवन से नाम रामपाल पुत्र गंगाराम गलत अंकित हो गया जबकि उक्त स्थान पर रामदयाल पुत्र गंगाराम अंकित होना चाहिए था इसी प्रकार खाता संख्या 12 कि खसरा नम्बर 299 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा में वादी का सहवन से नाम रामदयाल पुत्र दुला अंकित हो गया तथा खाता संख्या 159 कि आराजी खसरा नम्बर 255 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा व खाता संख्या 160 कि आराजी खसरा नम्बर 244 रकबा 11 बीघा व खसरा नम्बर 265 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा किता दो कुल रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा में भी रामदयाल पुत्र दुला सहवन से गलत अंकित हो गया है जबकि वादी का सही नाम रामदयाल पुत्र गंगाराम है	इसी प्रकार उपरोक्त आराजीयात में हो वादी के पित्र का सहवन से गलत अंकित हो गया है उसकी जगह वादी के पिता का नाम गंगाराम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है वादी कि उपरोक्त खातेदारी कि आराजीयात में खाता संख्या 27 में वादी का नाम रामदयाल कि जगह रामपाल गलत अंकित होने से तथा खाता संख्या 159 व 160 में वादी के पिता का नाम	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामदयाल / गोपाल

तारीख हुक्म	237/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गंगाराम कि जगह दुला गलत अंकित हो जाने से वादी को अपनी भूमि को उन्नत व विकसित करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा बैंक ऋण आदि लेकर अपनी भूमि को उन्नत व विकसित नही कर पा रहा है | जबकि वादी के पहचान से सम्बंधित सभी दस्तावेजात पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सभी में वादी का सही नाम रामदयाल पुत्र गंगाराम ही अंकित किया हुआ है | वादी ने उपरोक्त आराजीयात में स्वयं के नाम कि दुरुस्ती व पिता के नाम कि दुरुस्ती करवाने के लिए कई बार तहसीलदार महोदय व पटवारी हल्का से मोखिक रूप से सम्पर्क किया जिस पर उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा है वादी ग्रामीण परिवेश का भोला भाला व्यक्ति होने से इन पर विश्वास करता रहा किन्तु वादी के नाम व पिता के नाम में कोई दुरुस्ती नही कि गई लेकिन अंतिम बार दिनांक 16/03/2018 को तहसीलदार फुलेरा को उक्त दुरुस्ती किये जाने का निवेदन किया गया तो उनके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने को कहा इसलिये वाद पत्र अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया | जिसमे इकबालिया जवाब प्रतिवादी संख्या 1 लगा.8 व प्रतिवादी संख्या 9 कि मृत्यु होने पर उसके क़ानूनी वारिसान 9/1 लगा 9/3 व 9/5 ने राजीनामा कर उक्त दुरुस्ती किये जाने में अपनी सहमती दी गई है तथा किसी के द्वारा कोई आपत्ति नही कि गई है | उक्त वाद में वादी का शपथ पत्र साक्ष्य ली जाकर एवं बहस अधिवक्ता सुनी जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 2/3/2020 को निर्णय पारित कर वाद पत्र ख़ारिज कर दिया गया | जिसके विरुद्द वादी अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी | जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी |

अभिभाषक अपीलांट ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि वाद में सयुक्त खाते की आराजीयात का पूर्ण विवरण देते हुये वादी/अपीलाट्स ने वाद में अंकित किया है कि वादी गंगाराम का पुत्र है एवं उसके एकल खाते की आराजीयात खाता संख्या 27 आराजी ख.न. 944/1 रकबा 64

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
237/2020	रामदयाल / गोपाल 3.	

बीघा 14 बिस्वा, ख.न. 944/2 रकबा 1 बिस्वा में वादी का सहवन से नाम रामपाल पुत्र गंगाराम दर्ज कर दिया गया जबकी रामपाल पुत्र गंगाराम नाम के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नही है, इसी प्रकार खाता संख्या 12 के खसरा नम्बर 299 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा में वादी का नाम तो सही अंकित किया गया लेकिन उसकी वल्दियत गंगाराम के स्थान पर दुलाराम दर्ज कर दी गयी | इसी प्रकार खाता 159 के खसरा नम्बर 255 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा व खाता संख्या 160 के खसरा नम्बर 244 रकबा 11 बीघा व खसरा नम्बर 265 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा में भी वादी/अपीलाट्स का नाम तो सही अंकित किया गया किन्तु इन खसरा नम्बर नम्बरान के लिये भी वादी की वल्दियत गंगाराम के स्थान पर दुला अंकित कर दी गयी, जिसके संशोधन हेतु वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है | वादी ने हमारा ध्यान वाद में प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत जवाब वाद की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि वाद में प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया है एवं उक्त दुरुस्ती किये जाने में उनको कोई आपत्ति नही होना दर्ज किया है | इसके अतिरिक्त अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र राजीनामा जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31/05/2019 को प्रस्तुत हुआ कि और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा न सिर्फ इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था बल्कि उसी आशय का राजीनामा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसको न्यायालय द्वारा दिनांक 10/06/2019 को तस्दीक भी किया गया | अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद मात्र इस आधार पर ख़ारिज कर दिया गया कि वादी द्वारा बैंक से ऋण रामपाल पुत्र गंगाराम के आधार पर प्राप्त किये गये है, इसलिये वादी अब यह अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है जबकी वादी/अपीलान्ट्स द्वारा अपनी वल्दियत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामदयाल / गोपाल

तारीख हुक्म	237/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 4	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

साबित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विशिष्ट पहचान पत्र की प्रति, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, एवं राज्य सरकार द्वारा जारी भामाशाह कार्ड व परिवार राशन कार्ड की प्रतियाँ साक्ष्य के बतौर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी जिनमे वादी/अपीलाट्स की वल्दियत रामदयाल पुत्र गंगाराम स्पष्ट रूप से अंकित थी | इसके अतिरिक्त अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पी-15 जो नामान्तकरण संख्या 20 है कि और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि उक्त नामान्तकरण में भी वादी/अपीलाट्स की वल्दियत रामदयाल पुत्र गंगाराम अंकित है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन सब दस्तावेजी साक्ष्यो पर कतई गौर किये बगैर मात्र बैंक से ऋण रूपपाल पुत्र गंगाराम के नाम से जारी होने के आधार पर वादी का वाद गलत रूप से ख़ारिज कर दिया गया | अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त फरमाई जावे एवं वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती के आदेश फरमाये जावे |

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में मात्र यही निवेदन किया कि प्रतिवादी/रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी जवाब वाद एवं राजीनामे के माध्यम से स्पष्ट रूप से अंकित करा दिया था कि वादी/अपीलांट का नाम रामदयाल ही है एवं वह गंगाराम का पुत्र ही है, वादी का वाद डिक्री किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नही है | आज भी हमे वादी का वाद डिक्री किये जाने से कोई आपत्ति नही है |

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | यदपि बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र एवं पारिवारिक राशन कार्ड में वादी/अपीलाट की वल्दियत रामदयाल पुत्र गंगाराम अंकित है किन्तु जैसा की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वादी का वाद ख़ारिज किये जाने की वजह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
237/2020	रामपाल / गोपाल 5	

उसको बैंक से रामपाल पुत्र गंगाराम के नाम के दस्तावेज पर ऋण उपलब्ध हुआ है, उक्त ऋण प्राप्ति हेतु जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये है उन दस्तावेजात में वादी/अपीलांट की वल्दियत क्या अंकित रही है के सन्दर्भ में पुनः साक्ष्य सबूत आना आवश्यक है एवं इस अपील के स्तर पर पुनः साक्ष्य सबूत लिया जाना सम्भव नही होने से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त सन्दर्भ में पुनः साक्ष्य सबूत प्राप्त कर विस्तुत निर्णय पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/3/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर